

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट**

आप.प्रक.क्रमांक-141 / 2017  
संस्थित दिनांक-18.05.2009  
फाईलिंग क्रमांक-5612017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा

जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — **अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

शिवकुमार पिता ताराचंद उइके उम्र-23 वर्ष,

निवासी ग्राम सहेकीटोला सुसवा थाना किरनापुर जिला बालाघाट

— — — — **आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक 06.03.2018 को घोषित)**

**01—** आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा-25 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 18.03.2009 को समय करीब 14:40 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के ग्राम परसवाड़ा बस स्टेण्ड लामता रोड अर्थात् लोकस्थान पर धारा-4 आयुध अधिनियम क्रमांक 6322-11(बी)(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक देशी कट्टा एवं चाकू लिये पाये और पकड़े गये।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.09 को प्रधान आरक्षक क्रमांक 419 को अपराध क्रमांक 16/09 धारा-379, 411 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास देशी कट्टा लिये भादूकोना की ओर गया है। मुखबिर एवं साक्षी ओमकार पटले एवं कुंवरलाल के उक्त व्यक्ति का पीछा किया, जिसे गवाहों की मदद से पकड़ा गया। आरोपी से नाम पूछने पर उसने अपना नाम शिवकुमार उइके साकिन सहकी सुसवा थाना किरनापुर बताया। देशी कट्टा लोहे का प्वाइंट 2.2 बोर का तथा एक चाकू लंबाई करीब 11 इंच जो कि

उसके बांये पैर के मोजे में मिला। आरोपी से कट्टा के संबंध में लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 27/09 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा-25, 27 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

**01.** क्या आरोपी ने दिनांक 18.03.2009 को समय करीब 14:40 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के ग्राम परसवाड़ा बस स्टेण्ड लामता रोड अर्थात् लोकस्थान पर धारा-4 आयुध अधिनियम क्रमांक 6322-11(बी) (I) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक देशी कट्टा एवं चाकू लिये पाये और पकड़े गये ?

#### **विवेचना एवं निष्कर्ष:-**

**05—** साक्षी ओमकार अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी शिवकुमार को नहीं पहचानता। उसने आरोपी को मात्र देखा है। आरोपी को थाने में पकड़ कर लाये थे, तब उसने आरोपी को देखा था, तभी से आरोपी का नाम जानता है। वह थाना किसी काम से गया था, तब वहाँ उसके समक्ष आरोपी से देशी कट्टा एवं मोजे में एक आरी पत्ती भी थी जो जप्त किये थे। पुलिस वालों ने जप्ती पत्रक प्रपी.01 पर हस्ताक्षर करने बोले तो उसने हस्ताक्षर कर दिया। गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी.02 के अ से अ भाग पर

उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को पुलिस वालों ने कहाँ से पकड़कर लाये थे वह नहीं जानता। उसने सिर्फ थाने में आरोपी को देखा था।

**06—** साक्षी ओमकार अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने कभी आरोपी को हथियार रखे हुए बाहर नहीं देखा। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने आरोपी के पास से हथियार जप्त नहीं किये हैं, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी को लेकर आये, तब काफी भीड़ हो गई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि भीड़ होने के कारण किसके पास से जप्त किया गया था नहीं जानता, किन्तु यह स्वीकार किया है कि पुलिस वालों के पास पिस्तौल रहती है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने अपने पास से पिस्तौल निकालकर आरोपी के पास से जप्ती बनाये थे। उसने पुलिस को ढूँढने के लिए बाजार के तरफ जाना नहीं बताया था और ना ही गया था और उक्त बातें पुलिस बयान में लिखी हो तो वह नहीं बता सकता। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कोटवार जप्ती के समय वहाँ था या नहीं। उसने थाने में जप्ती पत्रक प्रपी.02 पर हस्ताक्षर किया था। जप्त पिस्तौल कथई काला कलर का था। आरोपी से पत्ती जप्त हुई थी, चाकू जप्त नहीं हुआ था। घटना करीब 4:00 बजे के लगभग हुई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह कोई काम से थाने नहीं गया था, बल्कि पुलिसवालों के कहने पर गया था।

**07—** साक्षी कुंवरलाल अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी शिवकुमार को नहीं जानता। वह ग्राम भाटा का कोटवार है। खैरात लिखाने थाने गया था। पुलिसवालों ने किसी अज्ञात व्यक्ति को पकड़ कर लाये थे और उसके पास से देशी कट्टा और पत्ती जप्त किया था, तभी पुलिस वालों के कहने पर उसने हस्ताक्षर किया था, तभी बताया था कि यह

शिवकुमार है। जप्ती पत्रक प्रपी.01 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जो उसने पुलिस वालों के कहने पर थाने में किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी.02 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर किया था।

**08—** साक्षी कुंवरलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब आरोपी को पकड़ कर लाये उस समय वह थाने के अंदर बैठा हुआ था, आरोपी को जब उसने देखा तो पिस्तौल पुलिस वालों के पास हाथ में रखी हुई थी, आरोपी के पास कोई चाकू नहीं थी। वह प्रार्थी ओमकार को जानता है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि ओमकार पुलिस वालों के साथ आया था, वह नहीं बता सकता कि पिस्तौल किस कलर की थी। साक्षी के अनुसार काले रंग का था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किया था, उसे पुलिस वालों ने जप्ती का बयान देने के लिये कहा था।

**09—** साक्षी भुवनसिंह अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। लगभग 4-5 महीने पहले बस स्टेण्ड से उपस्थित आरोपी को पुलिस वाले पकड़कर थाने ले गये थे, तब वह बंदूक वाले आये कह रहे थे तो वह लोग थाने चले गये। वह दूर खड़ा था। उसने नहीं देखा कि आरोपी से कोई सामान जप्त हुआ था। उसके सामने पुलिसवालों को आरोपी ने कुछ नहीं बताया था, साक्षी को मेमो कथन प्रपी.04 का अ से अ भाग का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर आरोपी द्वारा ऐसा कथन उसके सामने नहीं दिया जाना व्यक्त किया। उसने आरोपी से जप्ती करते हुये कोई सामान या कोई बंदूक नहीं देखा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वह थाने गया था तो पुलिस वालों के पास आरोपी के साथ काफी भीड़ थी, उसने प्रपी.04 पर हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने

पर किया है, प्रपी-04 में क्या लिखा है उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे।

**10—** साक्षी शारदा प्रसाद अ.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 18.03.09 को पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अपराध क्रमांक 16/09 की विवेचना के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास देशी कट्टा रखकर ग्राम भादूटोला की ओर गया है, जिसका पीछा कर घेराबंदी कर गवाहों की मदद से पकड़ कर नाम पूछने पर उसने शिवकुमार वल्द ताराचंद उइके ग्राम सहेकीटोला सुसवा थाना किरनापुर होना बताया था, जिसे आरोपी के पास से गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जिसकी लंबाई 11 इंच तथा आरोपी के बांये पैर के मोजे से एक चाकू जप्त किया था, जिसकी कुल लंबाई 52 इंच एवं प्लास्टिक के नीले रंग का कवर लगा था, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी.03 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**11—** साक्षी शारदा प्रसाद अ.सा.03 के अनुसार विवेचना दौरान आरोपी से जप्त देशी कट्टा एवं एक चाकू जप्त किया था एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के कथन गवाहों के समक्ष लिये गये थे, जिसका मेमोरेन्डम प्रपी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पश्चात् उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.02 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाह ओमकार पटले एवं कुंवरलाल के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया था, अपनी ओर से कुछ जोड़ा एवं छोड़ा नहीं था।

**12—** साक्षी शारदा प्रसाद अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को परसवाड़ा बाजार नहीं था। साक्षी के अनुसार



बाजार था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह जब घटनास्थल पर गया तब भीड़ अधिक थी, उसने प्र.पी.01 की कार्यवाही थाने में की थी, जप्ती की कार्यवाही करते समय आरोपी उपस्थित नहीं था, उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये हैं, प्र.पी.04 मेमोरेन्डम अपने मन से बनाया था, उसने संपूर्ण विवेचना झूठी बनायी थी।

**13—** प्रकरण में पंच साक्षीगण द्वारा विवेचना कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है और प्रकरण मात्र विवेचक शारदा प्रसाद अ.सा.03 की साक्ष्य पर आधारित है। उक्त साक्षी की साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं है और ना ही जिला मजिस्ट्रेट की अभियोजन चलाने की अनुमति के संबंध में कोई तथ्य उपलब्ध है। अभियोजन द्वारा आरमोरर साक्षी की साक्ष्य भी नहीं कराई गई है, जिससे जप्तशुदा कट्टे की वस्तुस्थिति भी स्पष्ट नहीं है तथा जप्तशुदा कट्टे एवं चाकू को न्यायालय में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। प्रकरण की साक्ष्य से प्रथमदृष्टया अभियुक्त के आधिपत्य से कथित चाकू व कट्टे की बरामदगी होना प्रमाणित नहीं है तथा अन्य साक्ष्य भी अनुपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 18.03.2009 को समय करीब 14:40 बजे आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के ग्राम परसवाड़ा बस स्टेण्ड लामता रोड अर्थात् लोकस्थान पर धारा-4 आयुध अधिनियम क्रमांक 6322-।।(बी)(।) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक देशी कट्टा एवं चाकू लिये पाये और पकड़े गये। अतः अभियुक्त शिवकुमार को आर्म्स एक्ट की धारा-25 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**14—** प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 19.03.2009 से दिनांक 29.09.2009 तथा दिनांक 17.03.2017 से 03.04.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा

में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

**15—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक देशी कट्टा लोहे का जिसमें प्लास्टिक का नीले रंग का कवर लगा हुआ है, का विधिवत् निराकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)